11.3.2015 को नई दिल्ली में आयोजित नदियों के अंतर्योजन (न.के.अं.) की परियोजना के मुद्दों पर उपलब्ध भिन्न अध्ययनों/ रिपोर्टों के व्यापक आंकलन के लिए गठित उप-समिति के द्वितीय बैठक की कार्यवृत्त

नदियों के अंतर्योजन (न.के.अं.) की परियोजना के मुद्दों पर उपलब्ध भिन्न अध्ययनों/ रिपोर्टों के व्यापक आकलन के लिए गठित उप-समिति की द्वितीय बैठक 11.3.2015 को नई दिल्ली में श्री बी.एन नवलावाला, ज.सं., न.वि. और गं.सं.मं. के मुख्य सलाहकार के अध्यक्षता के अंतर्गत आयोजित हुई थी। उप-समिति के अध्यक्ष ने सभी सहभागियों का स्वागत किया। इस बैठक में उपस्थित सहभागियों की सूची संलग्नक-I में प्रदान की गई है।

रा.ज.वि.अ. के पत्र संख्या एस.सी.आई.एल.आर./तक/400/2(i) दिनांकित 9 मार्च, 2015 द्वारा 26.2.2015 को नई दिल्ली में आयोजित (i) नदियों के अंतर्योजन (न.के.अं.) की परियोजना के मुद्दों पर उपलब्ध भिन्न अध्ययनों/ रिपोर्टों के व्यापक आंकलन के लिए गठित उप-समिति और (ii) सबसे उपयुक्त विकल्प योजना की पहचान के लिए गठित प्रणाली अध्ययनों की उप-समिति की प्रथम संयुक्त बैठक की कार्यवृत्त संचारित की गई थी और समिति द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी।

श्री ए.सी. त्यागी, उप-समिति-I के सदस्य ने 9.3.2015 को सभी सदस्यों को प्रथम बैठक की कार्यवृत्त पर अपनी टिप्पणी मेल के माध्यम से भेजी, जिस पर प्रोफ़ेसर पी.बी.एस. शर्मा, सबसे उपयुक्त विकल्प योजना की पहचान के लिए गठित प्रणाली अध्ययनों की उप-समिति के अध्यक्ष ने भी अपनी सहमति जताई। बैठक के दौरान इन टिप्पणियों पर चर्चा की गई थी। रा.ज.वि.अ. द्वारा यह सूचित किया गया था कि रा.ज.वि.अ. ने प्रथम बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार उप-समिति के विचारणीय विषयों को संबोधित करने के लिए आवश्यक सभी उपलब्ध रिपोर्टों/ दस्तावेजों की सूची का संकलन किया है और 11.3.2015 को उप-समिति के द्वितीय बैठक के दौरान सारांश/संक्षिप्त विवरणों सहित सभी सदस्यों को प्रदान किया गया है। रिपोर्ट्स/ दस्तावेजों की सूची संलग्नक-II में प्रदान की गई है।

मसौदा कार्यवृत्त के परिचालित पर श्री ए.सी त्यागी जी के टिप्पणियों के संबंध में, अध्यक्ष ने अपने अनुमति से कार्यवृत्त संचारित करने की कार्यवाही को उचित समझा और भविष्य में भी समान प्रक्रिया का पालन करने का निश्चय किया। हालांकि, उन्होंने सदस्यों द्वारा कार्यवृत्त पर अपनी-अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत की जाने की इच्छा प्रकट की, जिन टिप्पणियों पर अगली बैठक में विचार किया जाएगा और आवश्यक होने पर कार्यवृत्त को उचित हद तक संशोधित किया जाएगा। उसके बाद प्रथम संयुक्त बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि परिचालित कार्यवृत्त के रूप में की गई।

श्री के.पी. गुप्ता, अधीक्षण अभियंता, रा.ज.वि.अ. और उप-समिति के विचारणीय विषयों को कवर करने वाले उप-समिति के सचिव के द्वारा एक प्रस्तुतीकरण पेश किया गया। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद निम्न निर्णय लिए गए थे:-

1. 2002 के प्रादेश याचिका संख्या 668 सहित “नदियों के अंतर्योजन” के विषय पर 2002 के प्रादेश याचिका (सिविल) संख्या 512 के मामले में दिनांकित 27.2.2012 की माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुच्छेद 64(xv) सूचित करता है कि “इस आदेश के अंतर्गत संस्थापित समिति नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना के निष्पादन के लिए जिम्मेदार होंगे। इस समिति द्वारा लिया गया निर्णय इस न्यायालय के आदेशों या अन्यथा के तहत संस्थापित सभी प्रशासनिक निकायों के निर्णय से वरीय होगी।” माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के अनुपालन हेतु अध्यक्ष ने यह इच्छा प्रकट की कि नीचे सूचीबद्ध विभागों/ मंत्रालयों के प्रतिनिधियों (संयुक्त सचिव या समान पद से ऊपर) को शामिल कर नदियों के अंतर्योजन (न.के.अं.) की परियोजना के मुद्दों पर उपलब्ध भिन्न अध्ययनों/ रिपोर्टों के व्यापक आंकलन के लिए गठित उप-समिति अधिक विस्तृत होनी चाहिए:
   (i) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (प.व.ज.प.मं.);
   (ii) कृषि मंत्रालय;

(iii) जनजाति मंत्रालय (ज.मं.);
(iv) वित्त मंत्रालय (वि.मं.);
(v) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.);
(vi) केन्द्रीय जल आयोग (के.ज.आ.); और
(vii) नीति आयोग

तदनुसार, रा.ज.वि.अ. को "प्राथमिकता" के आधार पर अगली आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

2. माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुच्छेद 64(vi) के अनुपालन स्वरूप यह तय किया गया था कि न.के.अं. की परियोजना के प्रादेश याचिका के विचाराधीनता के दौरान समिति केवल विशेषज्ञ निकायों के रिपोर्टों और साथ हीं माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर स्थिति रिपोर्ट पर हीं विचार करेगी।

3. उप-समिति केवल प्रत्येक लिंक प्रस्तावों के नवीनतम रिपोर्टों के मूल्यांकन पर विचार करेगी।

4. समिति ने यह निर्णय लिया कि रा.ज.वि.अ. द्वारा जिन लिंक प्रस्तावों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (वि.प.रि.) पूरो की जा चुकी है, उप-समिति प्राथमिकता आधार पर केवल उन लिंक प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी, उसके बाद जिन लिंक प्रस्तावों की व्यवहार्यता रिपोर्ट (व्य.रि.) तैयार की जा चुकी है, उनका मूल्यांकन करेगी।

5. प्रत्येक लिंक के लिए आयोजित आरंभिक बैठक, दो उप-समितियों, अर्थात (i) नदियों के अंतर्योजन (न.के.अं.) की परियोजना के मुद्दों पर उपलब्ध भिन्न अध्ययनों/ रिपोर्टों के व्यापक आंकलन के लिए गठित उप-समिति और (ii) सबसे उपयुक्त विकल्प योजना की पहचान के लिए गठित प्रणाली अध्ययनों की उप-समिति की संयुक्त बैठक होगी।

6. यह तय किया गया कि रा.ज.वि.अ. को केन-बेतवा लिंक परियोजना के चरण-I और चरण-II के वि.प.रि. की एक पॉवर पॉइंट प्रस्तुतीकरण बनानी होगी और उसके बाद उप-समिति के विचारणीय विषय संख्या 2 और 3, अर्थात न.के.अं. की परियोजना पर कार्यबल (2004) और इसके उप समूहों/ समितियों की संस्तुतियों और माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर स्थिति रिपोर्ट से संबंधित विवरणों की प्रस्तुतीकरण बनानी होगी।

7. दो उप-समितियों, अर्थात (i) नदियों के अंतर्योजन (न.के.अं.) की परियोजना के मुद्दों पर उपलब्ध भिन्न अध्ययनों/ रिपोर्टों के व्यापक आंकलन के लिए गठित उप-समिति और (ii) सबसे उपयुक्त विकल्प योजना की पहचान के लिए गठित प्रणाली अध्ययनों की उप-समिति की अगली संयुक्त बैठक 26 मार्च, 2015 को आयोजित होगी।

8. उप-समिति-I के सभी बैठकों में श्री श्रीराम वेदिरे, सलाहकार, ज.सं., न.वि. और गं.सं.मं. को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा।

अध्यक्ष को धन्यवाद देकर बैठक समाप्त हुई।

संलग्नक-I

11.3.2015 को नई दिल्ली में आयोजित नदियों के अंतर्योजन (न.के.अं.) की परियोजना के मुद्दों पर उपलब्ध भिन्न अध्ययनों/ रिपोर्टों के व्यापक आंकलन के लिए गठित उप-समिति बैठक के सहभागी।

1. श्री बी.एन. नवलावाला — अध्यक्ष
   मुख्य सलाहकार, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय
2. श्री ए.डी. मोहिले — सदस्य
   पूर्व अध्यक्ष, के.ज.आ.
3. श्री एस.एन. हुद्दार — सदस्य
   पूर्व सचिव (ज.सं.वि.),
   महाराष्ट्र सरकार
4. प्रोफ़ेसर एस. इकबाल हसनैन, — सदस्य
   सेवा-निवृत्त श्रेष्ठ पर्यावरणीय विशेषज्ञ
5. श्री के.पी. गुप्ता, — सचिव
   अधीक्षण अभियंता, रा.ज.वि.अ.

विशेष अतिथिगण:

6. श्री एस. मसूद हुसैन,
   महानिदेशक, रा.ज.वि.अ.
7. श्री आर.के. जैन,
   मुख्य अभियंता (मुख्यालय), रा.ज.वि.अ.
8. श्री श्रीराम वेदिरे,
   सलाहकार, ज.सं., न.वि. और गं.सं.मं.

संलग्नक-II

न.के.अं. की परियोजना के संबंध में उप-समिति के सदस्यों को प्रदान किए गए रिपोर्टों/ दस्तावेजों की सूची

	रिपोर्टों/ दस्तावेजों के नाम	**टिप्पणी**
1	2002 की प्रदेश याचिका (प्रति) 668 सहित प्रादेश याचिका (प्रति) 512/2002: नदियों की अंतर्योजन के मामले में 27.2.2012 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश।	11.3.2015 को आयोजित बैठक के दौरान सदस्यों को प्रस्तुत किया गया
2	नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के लिए कार्यबल द्वारा स्थापित स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट	11.3.2015 को आयोजित बैठक के दौरान सदस्यों को प्रस्तुत किया गया
3	नदियों के अंतर्योजन की परियोजना पर कार्यबल द्वारा तैयार किया गया नदियों के अंतर्योजन की परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के निर्माण हेतु विचारणीय विषय	11.3.2015 को आयोजित बैठक के दौरान सदस्यों को प्रस्तुत किया गया
4	आईआईएम अहमदाबाद के माध्यम से नदियों के अंतर्योजन की परियोजना पर कार्यबल द्वारा तैयार किया गया न.के.अं. के कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत तंत्रों पर रिपोर्ट	11.3.2015 को आयोजित बैठक के दौरान सदस्यों को प्रस्तुत किया गया
5	राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त अर्थव्यवस्था अनुसंधान परिषद के माध्यम से नदियों के अंतर्योजन की परियोजना पर कार्यबल द्वारा तैयार किया गया न.के.अं. के कार्यक्रम की आर्थिक प्रभाव रिपोर्ट	11.3.2015 को आयोजित बैठक के दौरान सदस्यों को प्रस्तुत किया गया
6	नदियों के अंतर्योजन की परियोजना पर कार्यबल की कार्य योजना-I और कार्य योजना-II	11.3.2015 को आयोजित बैठक के दौरान सदस्यों को प्रस्तुत किया गया
7	जल संसाधनों के लिए संसद के स्थायी समिति की रिपोर्ट्स	26.2.2015 को आयोजित प्रथम बैठक के दौरान पहले हीं हार्ड कॉपी प्रदान की जा चुकी है
8	माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर शपथ-पत्र	26.2.2015 को आयोजित प्रथम बैठक के दौरान पहले हीं हार्ड कॉपी प्रदान की जा चुकी है

संलग्नक-II (ज़ारी)

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के जल अंतरण प्रस्तावों के संदर्भ में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा निष्पादित रिपोर्टों/ अध्ययनों की सूची

	रिपोर्टों/ दस्तावेजों के नाम	**सदस्यों को प्रस्तुति की स्थिति**
क	**विस्तृत परियोजना रिपोर्ट**	11.3.2015 को आयोजित द्वितीय बैठक के दौरान सभी सदस्यों को रिपोर्टों की सारांश, प्रमुख विशेषताएं और सूचक मानचित्र प्रस्तुत की गई
1	केन-बेतवा लिंक चरण-I	
2	केन-बेतवा लिंक चरण-II	
3	दमनगंगा-पिंजल लिंक	
ख	**व्यवहार्यता रिपोर्ट**	
	प्रायद्वीपीय अवयव	
1	महानदी (मणिभद्रा) – गोदावरी (दौलेश्वरम) लिंक	

2	गोदावरी (पोलावरम) – कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक	
3	गोदावरी (इंचमपल्ली) – कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक	
4	गोदावरी (इंचमपल्ली) – कृष्णा (पुलिछिन्तला) लिंक	
5	कृष्णा (नागार्जुनसागर) – पेन्नार लिंक	
6	कृष्णा (श्रीसेलम) – पेन्नार लिंक	
7	कृष्णा (अलमट्टी) – पेन्नार लिंक	
8	पेन्नार (सोमासिला) – कावेरी (ग्रैंड अनीकट) लिंक	
9	कावेरी (कट्टलाई) – वैगई – गुंडार लिंक	
10	पार्बती – कालीसिंध – चम्बल लिंक	
11	पार – तापी - नर्मदा लिंक	
12	पम्बा – अच्चेनकोविल - वैप्पार लिंक	
ग	**पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट**	
	प्रायद्वीपीय अवयव	
13	बेदती – वरदा लिंक	
14	नेत्रावती – हेमावती लिंक	
	हिमालयी अवयव	
1	मानस – संकोष – तिस्ता – गंगा (मा-सं-ति-गं) लिंक	
2	जोगीघोपा – तिस्ता – फरक्का लिंक (मा-सं-ति-गं लिंक का विकल्प)	
3	गंगा – दामोदर – सुबर्णरेखा लिंक	
4	फरक्का – सुंदरबन लिंक	
5	सुबर्णरेखा – महानदी लिंक	
6	कोसी – मेची लिंक	
7	कोसी – घाघरा लिंक	
8	गंडक – गंगा लिंक	
9	घाघरा – यमुना लिंक	
10	सारदा – यमुना लिंक	
11	यमुना – राजस्थान लिंक	
12	राजस्थान – साबरमती लिंक	
13	सोन बाँध – गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों की लिंक	
14	चुनार – सोन बाँध लिंक	